न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : मयंक मनीष, I.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 26/**20 (वि.प्रा.पत्र)**

GCMS No : 2020/00159

1. श्री शम्भुसिंह पिता मानसिंह भागरोत राजपूत निवासी पालवासकलां तह. मावली।

...........प्रार्थी

बनाम्

1. श्री भंवरसिंह पिता देवीसिंह भागरोत राजपूत निवासी पालवासकलां तह. मावली।
2. श्री रामसिंह पिता देवीसिंह भागरोत राजपूत निवासी पालवासकलां तह. मावली।
3. श्री लक्ष्मणसिंह पिता देवीसिंह भागरोत राजपूत निवासी पालवासकलां तह. मावली।
4. श्रीमती खुमाणीबाई बेवा देवीसिंह भागरोत राजपूत निवासी पालवासकलां तह. मावली।
5. श्री चेनसिंह पिता नवलसिंह भागरोत राजपूत निवासी पालवासकलां तह. मावली।
6. श्री भवानीसिंह पिता नवलसिंह भागरोत राजपूत निवासी पालवासकलां तह. मावली।
7. श्रीमती बसंन्त कुंवर पिता नवलसिंह भागरोत पत्नी मालसिंह राजपूत निवासी गजसिंहजी की भागल तह. आमेट जिला राजसमन्द।
8. श्रीमती केशरकुंवर पिता नवलसिंह भागरोत पत्नी कमलसिंह राजपूत निवासी गजसिंह जी की भागल तह. आमेट जिला राजसमन्द।
9. श्रीमती सुन्दरकुंवर पिता नवलसिंह भागरोत पत्नी लालसिंह राजपूत निवासी पटोलिया पोस्ट बाठरडाखुर्द तह. वल्लभनगर।
10. श्रीमती राजकुंवर पिता नवलसिंह भागरोत पत्नी माधुसिंह राजपूत निवासी राज्यावास तह. नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
11. श्रीमती उमगकुंवर पिता नवलसिंह भागरोत पत्नी खुमाणसिंह राजपूत निवासी पटोलिया पोस्ट बाठरडा तह. वल्लभनगर।
12. श्री लालसिंह पिता तेजसिंह भागरोत राजपूत निवासी पालवासकलां तह. मावली।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
14. पटवारी, पटवार हल्का वीरधोलिया तह. मावली।

..............विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री भोजपुरी गोस्वामी, अधिवक्ता प्रार्थी

2. श्री जसवन्तराय चौहान, अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 से 6 व 12

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.20 11:53:05 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—: निर्णय :—

दिनांक 21.12.2021

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पालवासकला पटवार हल्का वीरधोलिया के परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी नम्बर 327, 328, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521 किता 14 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा उक्त वर्णित आराजी कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में मुझ प्रार्थी के नाम से खातेदारी हक स्वतन्त्र रूप सं अंकित हैं, परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नम्बर 503 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा उक्त वर्णित आराजी कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में विपक्षीगण 1 से 12 के नाम से संयुक्त खातेदारी हक हिस्सेनुसार अंकित हैं।
2. यह कि प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट अ में वर्णित मुझ प्रार्थी के हिस्से कब्जे की कृषि भूमि आराजीयात में आवागमन करने के लिए 20 फीट चौडा मार्ग आराजी नम्बर 503 किस्म बंजड जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित सी.सी. रोड बनी है उक्त रास्ते के दोनो तरफ मकान बने हुए है जिससे होकर मै प्रार्थी एवं हमारे पूर्वज हमारी संयुक्त खातेदारी की आराजीयात पर जाते हैं तथा इसी आराजीयात की भूमि पर बने रास्ते से होकर कृषि उपज, खाद, बीज आदि बैलगाडी ट्रेक्टर द्वारा लाते ले जाते आ रहे है तथा वर्तमान में भी हम इसी रास्ते का उपयोग उपभोग करते आ रहे है किन्तु विपक्षीगण संख्या 1 से 9 उक्त जमीन पर बने रास्ते से होकर मुझ प्रार्थी को हमारी जमीन में आवागमन करने से रोक रहे है जबकि विपक्षीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं हैं।
3. यह कि मुझ प्रार्थी के पास उक्त काश्त की भूमि में प्रवेश करने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है परन्तु विपक्षीगण सं. 1 से 12 द्वारा उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.20 11:53:05 IST
Reason: SelfAttested

वर्णित आराजीयात पर बने रास्ते से होकर हमारी जमीन में आने जाने से रोक दिया है और समझाने पर भी नहीं मान रहे है विपक्षीगण संख्या 1 से 12 द्वारा मुझ प्रार्थी को उक्त रास्ते से होकर हमारी जमीनों में आने जाने से रोक देने से मुझ प्रार्थी अपनी कृषि भूमि पर आ जा नहीं पा रहा हुं और न हीं अपनी जमीन की सार, सम्भाल, बाड वगैरा ही करवा सक रहा हुँ।

4. यह कि वर्तमान में मुझ प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि में आवागमन करने के लिए एकमात्र रास्ता नम्बर 503 किस्म बंजड जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित सी.सी. रोड बनी है उक्त रास्ते के दोनों तरफ मकान बने हुए है जिससे होकर मुझ प्रार्थी एवं हमारे पूर्वज हमारी संयुक्त खातेदारी मुझ प्रार्थी की आराजीयात पर जाते हैं तथा इसी आराजीयात की भूमि पर बने रास्ते से होकर कृषि उपज, खाद, बीज आदि बैलगाडी, ट्रेक्टर द्वारा ला व ले जा सके। इसके अलावा मुझ प्रार्थी की कृषि भूमि में आवागमन करने के लिए कोई मार्ग नहीं है मुझ प्रार्थी ने हमारी कृषि में आवागमन करने के लिए विपक्षीगण सं. 1 से 12 को उनकी आराजीयात में रास्ता देने का निवेदन किया किन्तु विपक्षी सं. 1 से 12 ने इन्कार कर दिया और हमारे साथ लडाई झगडा करने पर आमादा हुए। इसलिए मुझ प्रार्थी की जमीन में आवागमन करने के लिए मुख्य रास्ते से विपक्षी सं. 1 से 12 की संयुक्त खातेदारी की आराजी नम्बर 503 किस्म बंजड जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित सी.सी रोड बनाई है जिसे होकर मुझ प्रार्थी की आराजीयात की भूमि पर बने रास्ते से बैलगाडी, ट्रेक्टर सुगमता पूर्वक आ जा सके उतनी चौडाई का रास्ता कायम कराया जाना आवश्यक हैं।

5. यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में माननीय राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 08.01.2012 को संशोधन कर धारा 251 क अन्त स्थापित कर अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाईप लाईन बिछाने या नया मार्ग खोलने

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.20 11:53:05 IST
Reason: SelfAttested

या विद्यमान मार्ग का विस्तार कराने का अधिकार दिया गया है। यदि किसी खातेदार द्वारा अवरोध किया जाता है तो न्यायालय के द्वारा आदेश प्राप्त कर अपने खेतों तक पहुंचने के लिए नया मार्ग बनाने एवं विद्यमान मार्ग को चौडा कराने का प्रावधान दिया गया हैं। इसलिए यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

6. यह कि मुझ प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 23.07.2020 को उत्पन्न हुआ जब मुझ प्रार्थी ने विपक्षीगण से हमारी कृषि भूमि आराजीयात की सीमा तक पहूंचने के लिए उक्त परिशिष्ट ब में वर्णित कृषि भूमि में से 20 फीट चौडा रास्ता नियमानुसार शुल्क जमाकर कायम करने बाबत् निवेदन किया तो विपक्षीगण ने माननीय न्यायालय आपमें मुकदमा कर रास्ता कायम कराने की बात कही और कोई कार्यवाही नहीं की, तब से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

7. अतः प्रार्थना है कि मुझ प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व निम्न आशय का आदेश प्रदान कराया जावे कि परिशिष्ट ब में अंकित आराजी में से मुझ प्रार्थी की आराजीयात की सीमा तक पहुंचने के लिए आराजी नम्बर 503 किस्म बंजड जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित सी.सी. रोड बनी है उक्त रास्ते के दोनों तरफ मकान बने हुए है जिसको नक्शे में अंकित भूमि के मध्य 20 फीट चौडा रास्ता कायम किया जावें एवं राजस्व जमाबन्दी में रास्ता के रूप में अमल दरामद व नक्शें में तरमीम किये जाने हेतु आदेशित किया जावें। यह कि उक्त भूमि में रास्ता कायम किये जाने बाबत् होने वाला समस्त व्यय एवं रास्ता बाबत् ली जाने वाली भूमि की कीमत न्यायालय के आदेशानुसार मुझ प्रार्थी जमा/वहन करने को तैयार हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.20 11:33:05 IST
Reason: SelfAttested

8. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में हमने तहसीलदार मावली से बिन्दूवार रिपोर्ट प्राप्त की। विपक्षी

सं. 1 से 12 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि परिशिष्ट अ में वर्णित आराजीयात प्रार्थी के नाम पर खातेदारी में दर्ज होने तथा परिशिष्ट ब में वर्णित कृषि भूमि हम विपक्षीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने का तथ्य स्वीकार हैं।

9. यह की प्रार्थना पत्र में वर्णित समस्त कथन गलत होकर अस्वीकार है क्योंकि प्रार्थीगण की परिशिष्ट अ में वर्णित कृषि भूमि में आवागमन करने के लिए हम विपक्षीगण की कृषि भूमि में आने जाने के लिए कभी कोई रास्ता नहीं रहा हैं और न ही वर्तमान में रास्ता मौजूद है और न ही प्रार्थी उसकी कृषि भूमि में हमारी जमीन में से होकर आया गया है और न ही हमारी जमीन कोई रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज है और न ही उक्त तथाकथित रास्ते से होकर प्रार्थी अपनी कृषि उपज, खाद, बीज आदि बैलगाडी ट्रेक्टर द्वारा लाया या ले गया है तथा जब हमारी जमीन में प्रार्थी का कोई रास्ता ही नहीं है तो उसका प्रार्थी द्वारा उपयोग उपभोग करने एवं उसे आवागमन करने से रोकने का कथन स्वमेव निराधार एवं कपोल कल्पित मात्र ही हैं। सही तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अपनी उक्त वर्णित कृषि भूमि पर आवागमन करने के रास्ते को खुलवाने के सम्बन्ध में दिनांक 16.09.2019 को श्रीमान जिला कलक्टर महादेय, उदयपुर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय उदयपुर ने जॉच कर कार्यवाही हेतु श्रीमान् तहसीलदार मावली को निर्देश दिये थे। इसके पश्चात् श्रीमान् तहसीलदार मावली द्वारा उक्त प्रकरण से संबंधित सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों की विस्तृत जॉच कराते हुए मौके की रिपोर्ट तलब की गई और सभी पर गौर फरमाने के पश्चात् दिनांक 20.09.2020 को प्रार्थी के रास्ता खुलवाने बाबत् प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए यह निर्णय पारित किया गया कि मौजा पालवासकलां पटवार [illegible] वीरधोलिया तह. मावली की आराजी संख्या 506 में से प्रार्थी को अपनी खाते[illegible] की कृषि भूमि आराजी नम्बर 516 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.20 11:53:05 IST
Reason: SelfAttested

आने जाने, अपने पशु लाने ले जाने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें। इस प्रकार तहसीलदार मावली द्वारा पारित किये गये निर्णय में हमारी आराजी नम्बर 503 में प्रार्थी की भूमि पर आवागमन करने बाबत् रास्ता होने के तथ्य की पुष्टि नहीं की बल्कि प्रार्थी की जमीनों में आवागमन करने के लिए आराजी नम्बर 506 में रास्ता होने की पुष्टि की। तहसीलदार मावली द्वारा पारित किये गये निर्णय को करीब एक वर्ष से अधिक का समय गुजर चुका है लेकिन प्रार्थी ने तहसीलदार मावली द्वारा पारित किये गये निर्णय की जानबुझकर पालना नहीं करवाई और मनमाफिक ढंग से दाद प्राप्त करने एवं हम विपक्षीगण को नाजायज तरीके से तंग परेशान कर हमारी जमीन रास्ता कायम कराने की बदयान्ति से तहसीलदार मावली पारित किये गये निर्णय के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया अर्थात् सभी तथ्यों को छुपाकर यह प्रार्थना पत्र न्यायालय आपमें प्रस्तुत कर दिया जबकि प्रार्थी को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं हैं। आराजी नम्बर 503 हम विपक्षीगण की संयुक्त खातेदारी अधिकार की है जिसका हम विपक्षीगण को अपनी इच्छानुसार उपयोग उपभोग करने का अधिकार है। प्रार्थी हम विपक्षीगण को हमारी जमीन का उपयोग उपभोग करने का अधिकार हैं। प्रार्थी हम विपक्षीगण को हमारी जमीन का उपयोग उपभोग करने से किसी भी अवस्था में रोकने का अधिकार नहीं रखता है। प्रार्थी के पास उसकी भूमियों में आवागमन करने के लिए रास्ता आराजी नम्बर 506 में है जिसका उपयोग प्रार्थी द्वारा निर्बाध रूप से किया जा रहा हैं और उसी रास्ते की पुष्टि तहसीलदार मावली द्वारा अपने निर्णय में भी की हैं।

10. यह कि प्रार्थी ने आराजी नम्बर 503 में रास्ता होने का कथन किया है लेकिन ऐसा कोई रास्ता रेवेन्यु रेकार्ड में दर्ज नहीं है। प्रार्थी की भूमि में आवागमन के लिए रास्ता आराजी नम्बर 506 में है जिसकी पुष्टि तहसीलदार मावली ने अपने निर्णय में भी की है और प्रार्थी उसी रास्ते का उपयोग उपभोग कर रहा हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.20 11:53:05 IST
Reason: SelfAttested

आराजी नम्बर 503 हम विपक्षीगण की संयुक्त खातेदारी अधिकार की है जिसका हम विपक्षीगण को अपनी इच्छानुसार उपयोग उपभोग करने का अधिकार हैं। प्रार्थी हम विपक्षीगण को हमारी जमीन का उपयोग उपभोग करने से किसी भी अवस्था रोकने का अधिकार नहीं रखता हैं। लेकिन प्रार्थी ने मनमाफिक दाद प्राप्त करने एवं हमारी बहूमूल्य जमीन को जबरन रास्ते के रूप में उपयोग करने की नियत से उस रास्ते के तथ्य को छिपाकर यह झूठा मुकदमा हमारे खिलाफ प्रस्तुत कर दिया है जबकि प्रार्थी को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। इन परिस्थितियों में प्रार्थी हमारी जमीन में किसी भी प्रकार का रास्ता कायम कराने का हकदार नहीं है और न ही कानूनन कोई अधिकार प्रार्थी रखता हैं। अगर कोई मार्ग किसी की भूमि पर जाने हेतु न हो तो 251 ए के तहत् आवेदन किया जा सकता है लेकिन यहां पर जिन आराजीयात पर जाने आने हेतु दावा लाया गया है उक्त आराजीयात पर आने जाने के लिए रास्ता आराजी नम्बर 506 में बना हुआ है और इसकी पुष्टि स्वयं तहसीलदार मावली द्वारा पारित किये गये निर्णय से भी होती है। इसलिए उक्त मामले में यह प्रावधान लागू नहीं होते है और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज होने योग्य हैं।

11. यह कि प्रार्थी को हमारे खिलाफ कभी कोई प्रार्थना पत्र कारण पैदा नहीं हुआ है क्योंकि हमारी जमीन में कभी कोई रासता ही नहीं रहा हैं। प्रार्थी ने मात्र मिथ्या मुकदमा करने एवं हमारी जमीन ने नाजायज तरीके से रास्ता कायम करने की गरज से गलत प्रार्थना पत्र कारण अंकित किया हैं। जिसमें प्रार्थीगण को कभी सफलता नहीं मिलेगी। अन्त में प्रार्थी की प्रार्थना है जो गलत होकर अस्वीकार हैं। प्रार्थी ने हम विपक्षीगण के विरूद्ध गलत एवं मिथ्या तथ्यों पर आधारित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं जो सव्यय खारिज होने योग्य हैं। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.20 11:53:05 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गलत एवं वेग तथ्यों पर आधारित होने से मय हजा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

12. विशेष कथन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी माननीय न्यायालय में दाद प्राप्ति हेतु क्लीन हेण्ड से नहीं आया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में सभी कथन मिथ्या एवं कपोल कल्पित अंकित किये हैं। प्रार्थी की आराजीयात पर आवागमन करने के लिए आराजी नम्बर 506 में सुविधा युक्त मुख्य रास्ता उपलब्ध है जिसकी पुष्टि तहसीलदार मावली ने अपने निर्णय में की हैं। इसलिए धारा 251ए का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थी की जमीनों पर आवागमन करता रहा है और आज भी आवागमन कर रहा है लेकिन प्रार्थी ने तहसीलदार मावली द्वारा पारित किये गये निर्णय की बात को छुपाकर पुनः मनमाफिक ढंग से उसकी जमीनों में आवागमन करने के लिए हमारी आराजी नम्बर 503 में रास्ता होने का मिथ्या कथन प्रकट करते हुए आप न्यायालय में हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है जो किसी भी दृष्टि में कानून चलने योग्य नहीं हैं।

13. पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 वीरधोलिया में पेश होने पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रकरण को खारिज किया जाने का निवेदन किया।

14. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण में तहसीलदार मावली से प्राप्त बिन्दुवार रिपोर्ट का अध्ययन किया। प्रकरण में धारा 251 ''क'' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् किसी खातेदार को अपनी जोत तक आने जाने के लिए रास्ता नहीं होने पर वह पडोसी खातेदार की भूमि में से [illegible] रास्ता प्राप्त कर सकता हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.20 11:53:05 IST
Reason: SelfAttested

15. प्रकरण में तहसीलदार मावली द्वारा प्रस्तुत की गई बिन्दुवार रिपोर्ट के अनुसार तहसीलदार मावली द्वारा पक्षकार के आने जाने हेतु विपक्षीगण की आराजी नम्बर 503 में से 15 फीट चौडा रास्ता प्रस्तावित किया है, जबकि पटवारी द्वारा पर्चे मौके में उक्त आराजी नम्बर 503 में 15 फीट चौडी 350 फीट लम्बी सीसी रोड बनी होना बताया है जो प्रार्थी के खातेदारी भूमि से जुडी हुई हैं। उक्त रोड को विपक्षी ने पक्की दिवार का निर्माण कर चबुतरा बना अवरूद्व कर दिया हैं। इस सम्बन्ध में तहसीलदार मावली से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई जो पत्र क्रमांक 375 दिनांक 28.05.2021 से पेश की गई, जिसमें तहसीलदार मावली द्वारा आराजी नम्बर 503 में पक्की सीसी रोड होना बताया एवं रास्ता खुलवाने हेतु तहसीलदार मावली द्वारा निर्णय भी पारित करने का कथन किया हैं।

16. उपरोक्त विवेचन के आधार पर खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए नवीन रास्ते की आवश्यकता होने पर धारा 251 ''क'' के तहत् आवेदन प्रस्तुत कर रास्ता प्राप्त कर सकता है परन्तु पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थी को अपनी आराजीयात में आने जाने के लिए आराजी नम्बर 503 में 15 फीट चौडी व 350 फीट लम्बी सीसी रोड बनी हुई होना जाहिर आया हैं। अतः प्रार्थी उक्त सीसी रोड से होकर आसानी से अपनी खातेदारी भूमि पर आ जा सकता हैं। पूर्व से ही रास्ता होने से नया मार्ग दिया जाना उचित नहीं हैं। रहा प्रश्न उक्त रास्ते को अवरूद्व करने का तो उक्त रास्ते को खुलवाया जा सकता हैं। केवल मात्र रास्ता नहीं होने का कथन कर नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251 ''क'' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पोषणीय नहीं होने से स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.20 11:53:05 IST
Reason: SelfAttested

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया किया जाता है एवं तहसीलदार मावली को आदेशित किया जाता है कि आराजी नम्बर 503 में बनी पक्की सीसी रोड 15 फीट चौडी व 350 फीट लम्बी जो प्रार्थी के खेत तक जाती है उसे खुलवाया जावें एवं विपक्षीगण को पाबंद किया जाता है कि प्रार्थी को उक्त मार्ग में आने जाने में बाधा नहीं पहुंचावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 21.12.2021 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(मयंक मनीष I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.20 11:53:05 IST
Reason: SelfAttested